

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

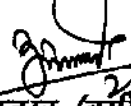
क्रमांक:—स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 2350/2021

दिनांक 26.10.2021

श्री बालकृष्ण कटारा (RJ0660), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं को दिनांक 15.11.2021 से 17.11.2021 तक 03 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 13.11.2021 से 14.11.2021 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है ।

श्री कटारा की अनुपस्थिति में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं के पद पर ही होने की संभावना है ।

आज्ञा से

26-10-2021
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक:—स्था.बी.2(4) 28/2011/6675

दिनांक : 26.10.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, झुंझुनूं को उनके पत्रांक 7863 दिनांक 16.10.2021 के सन्दर्भ में ।
3. श्री बालकृष्ण कटारा (RJ0660), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं।
4. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं ।
5. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं ।


सहायक रजिस्ट्रार